

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 636]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 2014/फाल्गुन 21, 1935

No. 636]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 2014/PHALGUNA 21, 1935

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2014

का.आ. 745(अ).—केंद्रीय सरकार, रसायन आयुध अभिसमय अधिनियम, 2002 (2000 का 34) की धारा 9 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (खक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रसायन आयुध अभिसमय (प्रवर्तन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए मानदंड) नियम, 2014 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. प्रवर्तन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए मानदंड- प्रवर्तन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति-
 - (क) केंद्रीय सरकार का राजपत्रित अधिकारी या रसायन आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित, राष्ट्रीय रसायनिक आयुध अभिसमय प्राधिकरण का समतुल्य पंक्ति का कोई अधिकारी होगा ;
 - (ख) के पास न्यूनतम अर्हता, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में मास्टर या रसायन विज्ञान की किसी भी शाखा में समतुल्य अर्हता या प्रौद्योगिकी में बैचलर या रसायन इंजीनियरी में समतुल्य अर्हता होगी ।

[फा.सं. सी-।.40018/24/2010-सीएच.I]

डा. ए.जे.वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

1122 GI/2014

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2014

S.O. 745(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ba) of sub-section (2) of section 56 read with sub-section (1) of section 9 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

- 1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chemical Weapons Convention (Criteria for Appointment as Enforcement Officer) Rules, 2014.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Criteria for appointment as enforcement officer. For appointment as enforcement officer, the person shall
 - (a) be a Gazetted officer of the Central Government, or an officer of equivalent rank of the National Authority for the Chemical Weapons Convention established under sub-section (1) of section 6 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000;
 - (b) possess the minimum qualification of Master of Science or equivalent in any branch of Chemistry, or Bachelor of Technology or equivalent in Chemical Engineering from a recognised University or Institute.

[F. No. C-I. 40018/24/2010-Ch.I]

Dr. A. J. V. PRASAD, Jt. Secy.